Sanjay Kumar, I.A.S
Secretary, Health
-cum-
Executive Director
Tele : 0612-2281232, 2290328
Fax : 0612-2290322

बिहार सरकार

State Health Society
Parivar Kalyan Bhawan
Sheikhpura, Patna-800014
Email : ed_shsb@yahoo.co.in
ed@statehealthsocietybihar.org
Website : www.statehealthsocietybihar.org

पत्रांक : SHSB/G.A/864/2013/..........
पटना, दिनांक : ..../10/2013

आदेश

सभी अवगत हैं कि तंबाकू सेवन से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गंभीर बिमारियों से ग्रसित हो जाता है। अतः प्रतिबंधित गुटखा एवं निकोटिन युक्त पान मसाला तथा कोटपा–2003 की धारा 4, 5, 6 एवं 7 के सुदृढ़ एवं प्रभावी अनुपालन हेतु राज्य स्तर पर एक धावा दल (Flying Squad) का गठन किया जाता है। यह धावा दल उल्लघंनकर्ताओं पर कानून के अनुरूप सख्ती से कार्यवाई करेगी। धावा दल में निम्नांकित सदस्य नामित किये गये हैं:

क्रम सं०	पदनाम
1.	राज्य नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण)
2.	प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा मनोनित सदस्य
3.	प्रधान सचिव, गृह विभाग द्वारा मनोनित सदस्य
4.	निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य विभाग द्वारा मनोनित सदस्य
5.	अभिहित अधिकारी–खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (मुख्यालय)
6.	सहायक औषधि नियंत्रक, बिहार पटना
7.	राज्य सलाहकार (तम्बाकू नियंत्रण)
8.	कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकॉनामिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) या उनके द्वारा नामित सदस्य
9.	कार्यपालक निदेशक, बी० भी० एच० ए० या उनके द्वारा नामित सदस्य

उपरोक्त धावा दल के द्वारा राज्य के सभी जिलों में छापेमारी की जाएगी। इस अभियान के सफल संचालन हेतु धावा दल द्वारा निर्धारित की गयी तिथियों को दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पर्याप्त पुलिस बल जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराने हेतु सभी जिलाधिकारियों/आरक्षी अधीक्षकों को अनुरोध किया जा रहा है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/–
(संजय कुमार)

ज्ञापांक : 8543 पटना, दिनांक : 22/10/2013

प्रतिलिपि :

- प्रशासी पदाधिकारी/सभी अपर निदेशक/सभी उपसमाहर्ता/वित्त एवं लेखा प्रबंधक/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/सभी सलाहकार, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
- पुलिस महानिदेशक, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रधान सचिव-स्वास्थ्य/शिक्षा/योजना एवं विकास/वित्त/गृह/पंचायती राज/श्रम संसाधन/शहरी विकास/उद्योग/कृषि/पी०एच०ई०डी०/सूचना एवं जनसंपर्क/परिवहन/पर्यटन/समाज कल्याण/ग्रामीण विकास/वाणिज्य कर विभाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- निदेशक प्रमुख/राज्य औषधि नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि उक्त धावा दल को प्रर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध करायेंगे।
- सभी वरीय पुलिस अधिक्षक/पुलिस अधिक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) को निदेशित करने हेतु प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी सिविल सर्जन सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- कार्यपालक निदेशक, सीड्स एवं बी०भी०एच०ए० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/X/2013

सचिव, स्वास्थ्य–सह–कार्यपालक निदेशक
राज्य स्वास्थ्य समिति

स्वस्थ शिशु स्वस्थ परिवार स्वस्थ बिहार